

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264] नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 1984/ज्येष्ठ 16, 1906  
No. 264] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 1984/JYAISTHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जून, 1984

अधिसूचना

का.आ. 416(अ) :—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनु-मरण में, डा. रफीक अकारिया, जिन्होंने अपना पद उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार रिक्त किया है, के स्थान पर श्री टी. चन्द्रशेखर रेड्डी का नाम सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है और भारत सरकार के सूचना और

प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 130(अ), दिनांक 8 मार्च, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 27 के सामने “डा. रफीक जकारिया” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“श्री टी. चन्द्रशेखर रेड्डी”

[फाइल संख्या 4/13/81-प्रेस]

पी. के. सरकार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 6th June, 1984

### NOTIFICATION

S.O. 416(E).—In pursuance of sub-section (5) of section 5 read with sub-section (6) of section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the name of Shri T. Chandrasekara Reddy as member in the place of Dr. Rafiq Zakaria who vacated the office in accordance with sub-section (3) of section 6 of the said Act and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No.S.O. 130(E) dated the 8th March 1982, namely:—

In the said notification, against serial number 27, for the entry “Dr. Rafiq Zakaria”, the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri T.Chandrasekara Reddy”.

[File No. 4/13/81-Press]

P.K. SARKAR, Jt. Secy.